an>

Title : Need to take action against the officers of the nationalised banks found guilty of not providing loans to the drought affected farmers in Maharashtra.

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस विÂषय की तरफ आकर्Âिषत करना चाहता हूं कि वर्ष 2014-15 के वित्तीय वर्ष के दौरान महाराÂष्ट्र सरकार ने महाराÂष्ट्र के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोÂिषत किया था और सूखे से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए महाराÂष्ट्र सरकार ने किसानों का फसल ऋण को पांच वर्षों में उस ऋण की अदायगी हर साल बीस परसेंट देने का प्रावधान किया था, जिसमें बैंकों ने अपनी भूमिका को समुचित ढंग से नहीं निभाया है और पक्षपाती ढंग से काम करते हुए सिर्फ 25 परसेंट किसानों के लिए ऐसा किया गया और 75 किसानों को इस योजना में कवर नहीं किया गया। इस वजह से 75 प्रतिशत उपरोक्त ऋण पुनर्गठन का फायदा राÂष्ट्रीयकृत बैंकों के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा नहीं मिला और सरकार की यह योजना पूरी तरह से फेल हो गई। वर्ष 2015-16 में महाराÂष्ट्र के कई जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए और सरकार ने उपरोक्त ऋण पुनर्गठन योजना को जारी रखा। परंतु इसका फायदा केवल वर्ष 2014-15 में जिन किसानों का ऋण पुनर्गठन किया गया था, उन्हीं 25 परसेंट किसानों को ही दुबारा पुनर्गठन का फायदा मिला और जिन 75 परसेंट किसानों को पुनर्गठन का फायदा नहीं मिला था, उनको कर्जे से वंचित रहना पड़ा।

महोदया, राÂष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस योजना को सफल बनाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाये, जिससे किसानों को उतनी राहत नहीं मिली, जितनी सरकार ने सोची थी। राÂष्ट्रीयकृत बैंकों का रुख उदासीन रहा है। लगता है कि राÂष्ट्रीयकृत बैंकों पर किसी का अंकुश ही नहीं है।

इसलिए सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सूखे से राहत पहुँचाने के लिए ऋण देने में राÂष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों की जाँच की जाए और जाँच के परिणामों के आधार पर दोÂषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष :

सर्वश्री अरविन्द सावंत,

संजय हरिभाऊ जाधव,

श्रीरंग आप्पा बारणे,

राजन विचारे,

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे,

आधलराव पाटील शिवाजीराव,

भैरो प्रसाद मिश्र,

मनोज राजोरिया,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और

भावना पुंडलिकराव गवली को श्री प्रतापराव जाधव द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।